रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1133] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2006/आश्विन 5, 1928
No. 1133] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2006/ASVINA 5, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2006

का.आ. 1616(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन करती है जो इस अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए विभिन्न कार्यों को करेगी तथा जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(i)	सचिव, गृह मंत्रालय (जिनके पास आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण है)	—अध्यक्ष
(ii)	सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग	—सदस्य
(iii)	सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	—सदस्य
(iv)	सचिव, रक्षा मंत्रालय	—सदस्य
(v)	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग	—सदस्य
(vi)	सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	—सदस्य
(vii)	सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग	—सदस्य
(viii)	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	—सदस्य
(ix)	सचिव, विद्युत मंत्रालय	—सदस्य
(x)	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग	—सदस्य
(xi)	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	—सदस्य
(xii)	सचिव, अंतरिक्ष विभाग	—सदस्य
(xiii)	सचिव, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग	—सदस्य
(xiv)	सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, शहरी विकास विभाग	—सदस्य
(xv)	सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	—सदस्य
(xvi)	चीफ ऑफ इंटिग्रेटिड डिफेंस स्टाफ ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी	—सदस्य

[फा. सं. 30/1/2006-एन डी एम-III(ए)]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2006

S.O. 1616(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 8 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby constitutes a National Executive Committee to carry out the various functions assigned to it under the said Act, consisting of the following members as specified in Sub-section (2) of Section 8 of the said Act, namely :—

(i)	Secretary, Ministry of Home Affairs (having administrative control of disaster management)	—Chairperson
(ii)	Secretary, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation	—Member
(iii)	Secretary, Department of Atomic Energy	—Member
(iv)	Secretary, Ministry of Defence	—Member
(v)	Secretary, Ministry of Rural Development, Department of Drinking Water Supply	—Member
(vi)	Secretary, Ministry of Environment and Forests	—Member
(vii)	Secretary, Ministry of Finance, Department of Expenditure	—Member
(viii)	Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	—Member
(ix)	Secretary, Ministry of Power	—Member
(x)	Secretary, Ministry of Rural Development, Department of Rural Development	—Member
(xi)	Secretary, Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology	—Member
(xii)	Secretary, Department of Space	—Member
(xiii)	Secretary, Ministry of Communications, Department of Telecommunications	—Member
(xiv)	Secretary, Ministry of Urban Development, Department of Urban Development	—Member
(xv)	Secretary, Ministry of Water Resources	—Member
(xvi)	Chief of the Integrated Defence Staff of the Chiefs of Staff Committee.	—Member

[F. No. 30/1/2006-NDM-III(A)]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2006

का.आ. 1617(अ).—केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण की स्थापना करती है जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियों एवं कार्यों का निर्वहन करेगा ।

[फा. सं. 30/1/2006-एन डी एम-III(ए)]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2006

S.O. 1617(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby establishes an authority to be known as the National Disaster Management Authority to discharge the powers and functions of the National Authority under the said Act.

[F. No. 30/1/2006-NDM-III(A)]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2006

का.आ. 1618(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त प्राधिकरण के सदस्य नामित किया है, अर्थात् :–

(i)	जनरल एन. सी. विज, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम (सेवानिवृत्त)	उपाध्यक्ष
(ii)	श्री के. एम. सिंह	सदस्य
(iii)	श्री एम. शशिधर रेड्डी, विधायक	सदस्य
(iv)	लेफ्टिनेन्ट जनरल (सेवानिवृत्त) जे. आर. भारद्वाज, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, पीएचएस	सदस्य सदस्य
(v)	डॉ. मोहन कांडा	सदस्य
(vi)	श्री एन. विनोद चन्द्र मेनन	सदस्य
(vii)	श्री बी. भट्टाचार्जी	सदस्य
(viii)	श्रीमती पी. ज्योति राव	सदस्य

इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने जनरल एन. सी. विज, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम (सेवानिवृत्त) को उक्त प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नामित किया है।

[फा. सं. 30/1/2006-एनडीएम-III (ए)]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2006

S.O. 1618(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (2) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Chairperson of the National Disaster Management Authority has nominated the following persons as members of the said Authority, namely :—

(i)	General N.C. Vij, PVSM, UYSM, AVSM (Retd.)	Vice-Chairman
(ii)	Shri K. M. Singh	Member
(iii)	Shri M. Shashidhar Reddy, MLA	Member
(iv)	Lt. Gen. (Retd) J.R. Bhardwaj, PVSM, AVSM, VSM, PHS	Member
(v)	Dr. Mohan Kanda	Member
(vi)	Shri N. Vinod Chandra Menon	Member
(vii)	Shri B. Bhattacharjee	Member
(viii)	Smt. P. Jyoti Rao	Member

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 3 of the said Act, the Chairperson of the National Disaster Management Authority has designated General, N.C. Vij, PVSM, UYSM, AVSM (Retd.) as the Vice-Chairperson of the said Authority.

[F. No. 30/1/2006-NDM-III(A)]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2006

आपदा प्रबंधन (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2006

का.आ. 1619(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि के संबंध में उस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कठिनाई उद्भूत हुई है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आपदा प्रबंधन (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2006 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी और उक्त पांच वर्ष की पदावधि की संगणना उस तारीख से की जाएगी जिसको उपाध्यक्ष और सदस्यों ने तारीख 31 मई, 2005 के भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 1/15/2002-डीएम(1)/एनडीएम-3(ए) तारीख 30 मई, 2005 द्वारा गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अपने-अपने पदभार ग्रहण किए हैं।

[फा. सं. 30/9/2005-एनडीएम-III (ए)]
नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2006

Disaster Management (Removal of Difficulties) Order, 2006

S.O. 1619(E).—Whereas a difficulty has arisen in giving effect to the provisions of Sub-section (4) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005) in relation to the term of office of the Vice-Chairperson and Members of the National Disaster Management Authority established under Sub-section (1) of Section 3.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 79 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. (1) This order may be called the Disaster Management (Removal of Difficulties) Order, 2006.

(2) It shall come into force at once.

2. For the purposes of Sub-section (4) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the term of office of the Vice-Chairperson and the members shall be for a period of five years and the said five years term shall be computed from the date on which the Vice-Chairperson and the Members entered upon their respective offices of the National Disaster Management Authority constituted *vide* Notification Number 1/15/2002-DM(1)/DNM-III(A) dated the 30th May, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 31st May, 2005.

[F. No. 30/9/2005-NDM-III(A)]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.